

उद्योग संचालनालय, मध्य प्रदेश
(स्थापना कक्ष)

क्रमांक-10/स्था/(4)/11/332

भोपाल, दिनांक-06 जून 2011

:: आदेश ::

प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से निम्नलिखित निज सहायक/शीघ्रलेखकों/सहायक वर्ग-2/सहायक वर्ग-3 को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्थान पर स्थानांतरित कर पदस्थ किया जाता है :-

क्र.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	रिमांक
1	2	3	4	5	6
1.	श्री कामेश कुमार,	निज सहायक	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जबलपुर	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र सागर	प्रशासकीय
2.	श्रीमती संध्या गुरव,	निज सहायक	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, छिंदवाड़ा	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, सिवनी	प्रशासकीय
3.	श्रीमती ममता साहू,	शीघ्रलेखक	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जबलपुर	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र कटनी	प्रशासकीय
4.	श्री एम.के. केवट,	शीघ्रलेखक	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जबलपुर	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र मंडला	प्रशासकीय
5.	श्री माधव शिरपुरकर,	शीघ्रलेखक	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र नरसिंहपुर	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र बैतूल	प्रशासकीय
6.	श्रीमती ललिता ठाकुर,	सहायक वर्ग-2	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जबलपुर	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र नरसिंहपुर	प्रशासकीय
7.	श्री भोलेनाथ शर्मा,	सहायक वर्ग-3	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र अशोकनगर	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दतिया	प्रशासकीय
8.	श्री नवीन सिंह तोमर	सहायक वर्ग-3	परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय ग्वालियर	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र भिण्ड	प्रशासकीय

2/ स्थानांतरण नीति अनुसार स्थानांतरित शासकीय सेवक को कार्यमुक्त करने की अवधि एक सप्ताह निर्धारित की गई है। यदि संबंधित शासकीय सेवक निर्धारित समयावधि में कार्यमुक्त नहीं होता है, तो उसे सक्षम अधिकारी द्वारा एकतरफा कार्यमुक्त किया जा सकेगा। एकतरफा कार्यमुक्त करने की तिथि से स्थानांतरण आदेश क्रियान्वित हुआ माना जायेगा।

3/ स्थानांतरण पर कार्यमुक्त कर्मचारी द्वारा ज्वाइनिंग टाईम का लाभ उठाकर नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो ऐसे शासकीय सेवकों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये।

क्रमशः 2

- 4/ स्थानांतरित कर्मचारी कार्यमुक्त होने पर उसका अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र, सेवा-पुस्तिका, व्यक्तिगत नस्ती, भविष्य निधि पुस्तिका आदि नवीन पदस्थापना से संबंधित कार्यालय एवं एम्पाईज कोड/डेटाबेस(संबंधित कोषालय हेतु) सात दिन के अन्दर आवश्यक रूप से भेजे जावें
- 5/ स्थानांतरित किये गये शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय से ज्वाइन करने के पश्चात् स्वीकृत किया जायेगा ।
- 6/ स्थानांतरण नीति की कंडिका-15 अनुसार स्थानांतरण के विरुद्ध अभ्यावेदन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र एफ 6-1/2005/1/9, दिनांक 10.5.2005, 29.7.2006, 9.8.2005 एवं 29.10.2005 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत निपटारे जायेंगे ।

विनोद सेमवाल

उद्योग आयुक्त
मध्य प्रदेश

भोपाल, दिनांक-06 जून 2011

पृ.क्रमांक-10/स्था/(4)/11/6372-6412
प्रतिलिपि-

1. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मान. मंत्री, म0प्र0 शासन, वाणिज्य उद्योग और रोजगारविभाग, भोपाल ।
3. संचालक, सूचना एवं प्रकाशन, संचालनालय, म0प्र0, भोपाल की ओर प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित ।
4. अपर/संयुक्त संचालक, परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय, भोपाल/इंदौर/उज्जैन/ग्वालियर/सागर/रीवा/जबलपुर की ओर सूचनार्थ ।
5. महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जबलपुर/छिंदवाड़ा/नरसिंहपुर/अशोकनगर/सागर/सिवनी/कटनी/मंडला/बैतूल/दतिया । कृपया स्थानांतरित अधिकारियों को स्थानांतरण नीति अनुसार आदेश जारी होने की तिथि से एक सप्ताह में स्थानांतरित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु आवश्यक रूप से कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें, साथ ही स्थानांतरित अधिकारी/कर्मचारी को स्थानांतरण आदेश की प्रति हस्तगत कराकर, पावती से उद्योग संचालनालय को आवश्यक रूप से प्रेषित करें ।
6. जिला कोषालय अधिकारी, जबलपुर/छिंदवाड़ा/नरसिंहपुर/अशोकनगर/सागर/सिवनी/कटनी/मंडला/बैतूल/दतिया की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु
7. उप संचालक उद्योग स्थापना कक्ष की समस्त शाखायें -सतर्कता प्रकोष्ठ/उद्योग संचालनालय के समस्त कक्ष/लेखा कक्ष मुख्यालय, भोपाल ।
8. संबंधित श्री _____ निज सहायक/शीघ्रलेखकों/सहायक वर्ग-2/सहायक वर्ग-3, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र-_____ की ओर पालनार्थ ।
9. आर्डर बुक ।
10. सूचना पटल

गोपाल श्रीवास्तव

संयुक्त संचालक उद्योग

कृते उद्योग आयुक्त

उद्योग संचालनालय, मध्य प्रदेश
(स्थापना कक्ष)

क्रमांक-10/स्था/(4)/11/333

भोपाल, दिनांक-06 जून 2011

:: आदेश ::


प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से निम्नलिखित स्टेनोटाइपिस्ट/ सहायक वर्ग-3/वाहन चालक को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्थान पर स्थानांतरित कर पदस्थ किया जाता है :-

क्र.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1.	श्री के.एन.एच. कुरेशी,	स्टेनोटाइपिस्ट	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायसेन	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, विदिशा	स्वयं के व्यय पर
2.	श्री राजेश त्रिवेदी	सहा.वर्ग-3	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, मुरैना	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, श्योपुर	स्वयं के व्यय पर
3.	श्री त्रिभुवन सिंह तिवारी	सहा.वर्ग-3	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, शहडोल	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, सतना	स्वयं के व्यय पर
4.	श्रीमती ममता बाथम	सहा.वर्ग-3	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, भोपाल	उद्योग संचालनालय, भोपाल	स्वयं के व्यय पर
5.	श्री मनीष पत्की,	सहा.वर्ग-3	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, नीमच	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, पीथमपुर	स्वयं के व्यय पर
6.	श्री रामनारायण श्रीवास्तव,	वाहन चालक	परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय, सागर	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र सागर	स्वयं के व्यय पर

- 2/ स्थानांतरण नीति अनुसार स्थानांतरित शासकीय सेवक को कार्यमुक्त करने की अवधि एक सप्ताह निर्धारित की गई है । यदि संबंधित शासकीय सेवक निर्धारित समयावधि में कार्यमुक्त नहीं होता है, तो उसे सक्षम अधिकारी द्वारा एकतरफा कार्यमुक्त किया जा सकेगा । एकतरफा कार्यमुक्त करने की तिथि से स्थानांतरण आदेश क्रियान्वित हुआ माना जायेगा ।
- 3/ स्थानांतरण पर कार्यमुक्त कर्मचारी द्वारा ज्वाइनिंग टाइम का लाभ उठाकर नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो ऐसे शासकीय सेवकों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये ।

क्रमशः 2


- 4/ स्थानांतरित कर्मचारी कार्यमुक्त होने पर उसका अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र, सेवा-पुस्तिका, व्यक्तिगत नस्ती, भविष्य निधि पुस्तिका आदि नवीन पदस्थापना से संबंधित कार्यालय एवं एम्पाईज कोड/डेटाबेस(संबंधित कोषालय हेतु) सात दिन के अन्दर आवश्यक रूप से भेजे जावें
- 5/ स्थानांतरित किये गये शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय से ज्वाइन करने के पश्चात् स्वीकृत किया जायेगा ।
- 6/ स्थानांतरण नीति की कंडिका-15 अनुसार स्थानांतरण के विरुद्ध अभ्यावेदन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र एफ 6-1/2005/1/9, दिनांक 10.5.2005, 29.7.2005, 9.8.2005 एवं 29.10.2005 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत निपटायें जायेंगे ।


विनोद सेमवाल
उद्योग आयुक्त
मध्य प्रदेश

पृ.क्रमांक-10/स्था/(4)/11/6413-6450
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक-06 जून 2011

1. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मान. मंत्री, म0प्र0 शासन, वाणिज्य उद्योग और रोजगारविभाग, भोपाल ।
3. संचालक, सूचना एवं प्रकाशन, संचालनालय, म0प्र0, भोपाल की ओर प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित ।
4. अपर/संयुक्त संचालक, परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय, भोपाल/इंदौर/उज्जैन/ग्वालियर/सागर/रीवा/जबलपुर की ओर सूचनार्थ ।
5. महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायसेन/विदिशा/मुरैना/शयोपुर/शहडोल/सतना/भोपाल/नीमच/पीथमपुर/सागर। कृपया स्थानांतरित अधिकारियों को स्थानांतरण नीति अनुसार आदेश जारी होने की तिथि से एक सप्ताह में स्थानांतरित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु आवश्यक रूप से कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें, साथ ही स्थानांतरित अधिकारी/कर्मचारी को स्थानांतरण आदेश की प्रति हस्तात कराकर, पावती से उद्योग संचालनालय को आवश्यक रूप से प्रेषित करें ।
6. जिला कोषालय अधिकारी, रायसेन/विदिशा/मुरैना/शयोपुर/शहडोल/सतना/भोपाल/नीमच/पीथमपुर/सागर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7. उप संचालक उद्योग स्थापना कक्ष की समस्त शाखायें -सतर्कता प्रकोष्ठ/उद्योग संचालनालय के समस्त कक्ष/लेखा कक्ष मुख्यालय, भोपाल ।
8. संबंधित श्री _____ स्टेनोटाइपिस्ट/सहायक वर्ग-3, वाहन चालक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र _____ की ओर पालनार्थ
9. आर्डर बुक ।
10. सूचना पटल


गोपाल श्रीवास्तव
संयुक्त संचालक उद्योग
कृते उद्योग आयुक्त